19 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत
07 R 11 CPC समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी
ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए
कि वादी द्वारा वाद हाजा से पूर्व में भी
एक दावा प्रकरण सं. 19/2007 बउनवानी
जलधरसिंह बनाम अमृतपालकौर अन्तर्गत धारा 53,
88 RTA पेश किया था जिसमें दिनांक 26/3/07
को डीक्री पारित हुयी थी। वर्तमान में इस वाद की
निगरानी मा. राजस्व मंडल में विचाराधीन है। अब
वादीगण द्वारा पुन: खाता विभाजन व घोषणा का दावा
पेश कर दिया है। विधि अनुसार वादी खाता विभाजन का
एक ही वाद पेश कर सकता है। दुबारा नहीं। पूर्ववर्ती
वाद में भी वादी द्वारा स्वयं को हरनाम सिंह के
वारिसान के रूप में स्थापित करते हुए हक हिस्सा
में प्रार्थी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होने का

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

का अनुतोष चाहा था। वस्तुतः हरनाम सिंह के तीन लड़के थे जिन्हे 32-32 बीघा जमीन प्राप्त हुई थी। वादी ने पूर्ववर्ती वाद द्वारा अपने एक हिस्से में विरासतन रूप से आयी समस्त कृषि भूमि की डीक्री करवा ली गयी और अब पुनः जीवे दावा और जमीन लेना चाहता है जबकि यह विधि का आज्ञापक प्रावधान है कि RTA 53(5) के तहत एक से अधिक जोत के लिए विभाजन हेतु एक ही वाद संस्थित किया जाएगा। यदि पूर्ववर्ती वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है तो अनुतोष के उस भाग का परित्याग समझा जाएगा। अतः यह दूसरा वाद 02 R2 CPC के तहत नहीं लाया जा सकता है। वाद विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता अर्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायदृष्टांत - 2015(1) CCC पेज 154, 2012(3) CCC पेज 194 उल्लेखित किए।

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने कथन किए कि वादीगण द्वारा हरनाम के नाम दर्ज आराजी में से अनुतोष चाहा गया है। पूर्ववर्ती वाद में केवल सुखदेवसिंह के हिस्से की आराजी की घोषणा चाही गयी थी। उसमें वादग्रस्त आराजी के खोत को शामिल नहीं किया गया था। पूर्ववर्ती वाद में 15 पक्षकार थे जबकि वाद हाजा में 68 पक्षकार है। हरनामसिंह द्वारा जिस आराजी की वसीयत करवायी गयी है उसमें कोई विवाद नहीं है एवं वादहाजा में उसी आराजी का अनुतोष चाहा गया है। पूर्ववर्ती वाद एवं इस दावे की विषयवस्तु एवं पक्षकार अलग है। बाकी तथ्य साक्ष्य के जरिए तय होने है अतः अर्थना पत्र अर्थी खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन एवं सम्मानीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। आदेश 7 नियम 11 के विभिन्न प्रावधानों में से इस अर्थना पत्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

पत्र की बहसोपरान्त न्यायालय को इस बिंदु पर विचारण करना है कि-'आया वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा नहीं।'

उभयपक्ष की बहस में यह स्वीकृत तथ्य है कि इस वाद से पूर्व वादीगण द्वारा एक वाद सं. 19/2007 खाता विभाजन एवं घोषणात्मक दावा का न्यायालय हाजा में संस्थित किया था। पूर्ववर्ती वाद एवं डीक्री दिनांक 03/4/07 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी चक 18 एएमपी खाता सं. 93/80, 93 को पूर्ववर्ती वाद में शामिल नहीं किया गया था।

दोनों वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा हरनाम सिंह के वारिसान की हैसियत से विरासतन कृषि भूमि में अपना हक-हिस्सा का अनुतोष चाहा गया है। हरनाम सिंह के तीन लड़के - साधुसिंह, जंगीर सिंह एव हरेन्द्र सिंह थे। जंगीर सिंह वादीगण का दादा था। नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम - 21 AMP पटवार हल्का सिंहपुरा की प्रमाणित प्रति में इन्तकाल संख्या 262 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हरनाम सिंह ने वसीयत द्वारा 6.057 हि. आराजी अपने पुत्रों - साधुसिंह (2.019 हि) हरेन्द्र सिंह (2.019 हि.), जंगीर सिंह के वारिसों (2.019 हि) के नाम दर्ज हुयी। यह इंतकाल 20/4/05 को स्वीकृत हुआ। [illegible] पूर्ववर्ती वाद सं. 19/2007, वर्ष 2007 में संस्थित [illegible] किया गया। दोनों दावों में वादीगण ने जिस [illegible] भी कृषि भूमि का अनुतोष चाहा है वह हरनाम [illegible] से प्राप्त हुयी है। इस प्रकार वादीगण द्वारा जब एक बार अपने हक हिस्से को विरासतन कृषि भूमि का अनुतोष प्राप्त कर लिया गया है तो वह पुनः दावा लाने का अधिकारी नहीं रह जाता। इसे न्यायदृष्टान्त 2015(1) CIVIL COURT CASES 154 में अभिनिर्धारित किया गया है कि -

" Bar of subsequent suit - All claims emerging from a cause of action have to

सहायक कलेक्टर

be included in the suit and a second suit for a claim on a cause of action would be barred unless leave of court is obtained."

इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2012(3) CIVIL COURT CASES पेज 194 में अभिनिर्धारित किया है -

" O2R2 - Bar of second suit - Relief sought in the present suit was in knowledge of plantiff at the time filling of earliar civil suit Held suit is barred U.O. 02 R2 CPC"

उपर्युक्त न्यायदृष्टांतो के आलोक में यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा हलनामा सिट के वासियत के रूप में स्थापित करके पहले एक वाद 19/2007 सालिर के जरिये डीक्री दिनांक 3/4/2007 अपना विरासत का हिस्सा प्राप्त कर लिया था। उस दावे में वाद हाजा में प्रसंगत प्रार्थी को शामिल नहीं किया था। अब वादीगण पुनः विरासत का हिस्सा प्राप्त करने हेतु दावा लाए है। लिहाजा यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53(5) एवं व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 2 नियम 2 के प्रावधानों के विपरीत होने से विधि द्वारा वर्जित है।

उक्त विवेचन, विधि के आशापद प्रावधानों, माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतो के आलोक में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 07R11 CPC स्वीकार कर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.09 17:06:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: